राजस्थान–सरकार
वन विभाग

क्रमांक : प.3(22)वन / 2022 जयपुर, दिनांक 30.11.2022

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36 'क' की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील स्थित आरक्षित वन खण्ड बाघदर्रा, वन भूमि, जिसका विवरण अनुसूची–I एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची–II के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय व प्राणीजातीय, वनस्पतीय, भू–संरचना संबंधित, नैसर्गिक एवं प्राणीशास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए सरंक्षण आरक्षिति घोषित करती है, जिसे भविष्य में **"बाघदर्रा कोकोडाईल सरंक्षण आरक्षिति"** के नाम से जाना जावेगा, जो उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये नियमों या समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के उपबंधों का विषय होगा।

अनुसूची –I

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम	वन खण्ड का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	भूमि का वर्गीकरण
1.	उदयपुर	गिर्वा	लकडवास	बाघदर्रा	368.71	आरक्षित वन
				योग	368.71 है.	

अनुसूची –II

सीमा की दिशा	सीमा का विवरण
उत्तरी सीमा :	पठियाल (जागीर)
पूर्वी सीमा :	लकड़वास
दक्षिणी सीमा :	लकड़वास धामधरा
पश्चिमी सीमा :	धामधरा, पारोला व उगरड़ा

राज्यपाल की आज्ञा से,

(वेंकटेश शर्मा)
शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.) राजस्थान, जयपुर।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को REAMS के माध्यम से ई गजट में प्रकाशित करने का श्रम करावें।
11. सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर।
12. सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
13. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर।
14. जिला कलेक्टर, उदयपुर।
15. उप वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर।
16. संसदीय कार्य विभाग।

विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली।
2. महानिरीक्षक, वन्यजीव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली।
3. निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, पो0बो0 नं. 18 चन्द्रबनी, देहरादून।

विशेषाधिकारी, वन